कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
मोतीमहल::ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 18/3/96

क्रमांक/रसायन शाला./359

प्रति,

1. समस्त संभागीय उपायुक्त आबकारी
मध्यप्रदेश.

2. प्रभारी आबकारी अधिकारी §समस्त आसवनी§
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मोलासिस की गुणवत्ता निर्धारण के लिये सेम्पल की जांच ।

---0---

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3§1§1161 दिनांक 29.7.92 द्वारा जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए आसवनियों में प्राप्त एवं संग्रहित मोलासिस के सेम्पल लेनें की प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक आसवनी के भारसाधक अधिकारी द्वारा आसवनी में अल्कोहल के उत्पादन के लिये लगाये जाने वाले प्रत्येक सेटअप में उपयोग में लिये जाने वाले शीरे से नमूने लिये जॉये । नमूने प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी -

§i§ अल्कोहल उत्पादन के लिये लगाये जाने वाले प्रत्येक सेटअप में उपयोग में लाये जाने, वाले शीरे से दो नमूने लिए जायें । प्रत्येक नमूने पर सेटअप क्रमांक व दिनांक लिखा जाय ।

§ii§ लिये गये दो नमूनों में से एक नमूना आसवनी की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु आसवक को सौंप दिया जाय तथा दूसरे नमूने को भारसाधक अधिकारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाय ।

§iii§ इस प्रकार से पूरे एक सप्ताह में लगाये जाने वाले प्रत्येक सेटअप में उपयोग में लिए गए मोलासिस के बराबर मात्रा में नमूने लिये जायें ।

§iv§ सप्ताह के अंत में भारसाधक अधिकारी द्वारा सप्ताह में लिए गए सभी सेटअपों के नमूनों को उनके पास होंगे, को एकजाई कर एवं अच्छी तरह से मिश्रित कर, उससे तीन सेम्पल तैयार किये जायें । उसका एक भाग आबकारी आयुक्त के कार्यालय में स्थित प्रयोगशाला को भेजा जायेगा । दूसरा भाग आसवनी की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु आसवक को सौंप दिया जायेगा, तथा तीसरा भाग भारसाधक अधिकारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा इन नमूनो पर एक लेबल चिपकाया जाय जिसमें सेटअप क्रमांक ---------- दिनांक ---------- से सेटअप क्रमांक---------- दिनांक ---------- तक के लिए गए नमूनों का मिश्रित नमूना लिखा जाय ।

..2//

(v) समस्त नमूनों को भारसाधक अधिकारी द्वारा सीलबंद किया जायेगा तथा नमूनों के लेबल पर हस्ताक्षर किए जाकर तारीख अंकित की जाएगी ।

2- आबकारी प्रयोगशाला द्वारा उक्तानुसार प्राप्त नमूनों के परीक्षण की प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर आसवनी का भारसाधक अधिकारी, उस सम्बन्धित सप्ताह में उपयोग में लाये गये सभी वेटअपों के कुल शीरे की मात्रा के लिये अल्कोहल की ऐसी न्यूनतम मात्रा का परिकलन करेगा जिसे विहित किये गये न्यूनतम आधार पर आसवक द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिये । विहित किए गए न्यूनतम से कम प्राप्ति होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

3- इस बात का ध्यान रखा जाए कि शीरा के रासायनिक परीक्षण पर ही मदिरा की उतारी निर्धारित की जायेगी अतः सेम्पलिंग के समय पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरती जाय । इन निर्देशों के अनुसार प्रति सप्ताह शीरा का नमूना परीक्षण के लिए रसायन शाला में भेजी जावे तथा वेटअप वाइज मदिरा उतारी पत्रक नियमित रूप से प्रतिमाह इस कार्यालय को भेजा जावे ।

उपरोक्त निर्देशों का पालन निष्ठा पूर्वक एवं कड़ाई के साथ किया जावे ।

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ०क्रमांक/रसायनशाला/ 360 ग्वालियर, दिनांक 18/3/96

प्रतिलिपि:—

1--उपायुक्त(आबकारी) संभाग-------------------------म०प्र०.

2—सहायक आबकारी आयुक्त(संभागीयउड़नदस्ता)- समस्त -म०प्र०.

3—जिला आबकारी अधिकारी(समस्त) मध्य प्रदेश ।

4—जिला आबकारी अधिकारी(आसवनी)------------------------------------------------------------------------------------------म०प्र०.

5--रीडर(आबकारी आयुक्त) मध्य प्रदेश, ग्वालियर ।

16.3.96
सहायक आयुक्त(आबकारी)
कृते-आबकारी आयुक्त, म.प्र.
ग्वालियर.